कार्यालय प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय
गो० ब० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

पत्रांकः प्र०अ०भ०क्र०/2019-20/1234 दिनांक- 13 फरवरी 2020

कार्यालय ज्ञाप

समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष (वाह्य शोध इकाईयों सहित)

ज्ञातव्य है कि विश्वविद्यालय को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान विभाग (डी.एस.आई.आर), नई दिल्ली के द्वारा अनुसन्धान कार्यों हेतु प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री (Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers but excluding furniture and air conditioner), accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose) and computer software) पर जीएसटी में छूट प्रदान की जाती है। किन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के कतिपय विभाग सामग्रियों की अधिप्राप्ति सम्बन्धी अपनायी जा रही विभिन्न प्रक्रियान्तर्गत जीएसटी छूट (GST Exemption) का लाभ नहीं ले रहे हैं जिससे विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधा का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो सम्परीक्षा की दृष्टि से भी आपत्तिजनक है।

जिन विभागों द्वारा जीएसटी छूट प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया जा रहा है उनमें से अधिकांश विभागों द्वारा Sectional Head के स्थान पर महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से आवेदन सम्प्रेषित किया जा रहा है जबकि जीएसटी छूट प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने वाले निर्धारित आवेदन प्रारूप पर अभिलिखित "Sectional Head" का तात्पर्य सम्बन्धित महाविद्यालय/निदेशालय/विभाग (जैसी भी स्थिति हो) के अधिष्ठाता/निदेशक/ विभागाध्यक्ष (महाविद्यालय हेतु विभागाध्यक्ष अधिष्ठाता होंगे) है।

अतः समस्त सम्बन्धित विभागों से यह अपेक्षित है कि अनुसंधान कार्यों के उपयोगार्थ सामग्रियों की अधिप्राप्ति में (चाहे सामग्री की अधिप्राप्ति का माध्यम जो भी हो) जीएसटी दरों में छूट प्राप्त करने हेतु जीएसटी छूट प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

A.K. Balyan
13/2/2020
प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय

Pk/D.D.S /in side letter/hindi/all dean director